


अशासकीय सहायता प्राप्त एवं अशासकीय वित्त विहीन विद्यालयों के पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश -

समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं अशासकीय वित्त विहीन हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय के नवीन पंजीकरण (कक्षा 9 से कक्षा 12) हेतु विद्यालय यूजर आई0डी0 बना दी गयी हैं। जिसकी सूची जनपदवार संलग्न है।


आप अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर अपने विद्यालय की कक्षाओं की अंकना यूजर आई पर करवा लें। तत्पश्चात् ही यूजर आई0डी0 के माध्यम से पंजीकरण किये जा सकेंगे।



(विनोद प्रसाद सिमल्टी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

 रामनगर (नैनीताल)